

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/मुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्कूल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 678 दिनांक 18/08/2020

पार्थ चन्द्र शेखर डा० श्री मोहनलाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 121671/- प्रप्त

जरिये रसीद संख्या 2069/1732, 1734

दिनांक 18/08/2020 को जमा करा दी है ।

P.O.No: 14/873 चौपासनी

हाउसिंग बोर्ड

[Signature]
18/8/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

[Signature]
25/8/2020

(Chandray Shekhar Kumar)
9602122555